राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– प.(42)/मुसप्र/नियमितिकरण/2009–11 /2505 दिनांकः– 13-1-11

परिपत्र

इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.(42)/मुसप्र/नियमितिकरण/2009–11/2391 दिनांक 24.12.10 के द्वारा राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.12.10 के अनुसार दिनांक 30.06.09 तक निष्पादित किये गये अपंजीकृत विलेखो के आधार पर हस्तान्तरित/विक्रय की गयी स्थावर सम्पति/आवासों की लीज डीड व कनवेन्स डीड जारी करने हेतु दिनांक 31.03.10 तक प्रस्तुत आवेदनो तथा पूर्व में कभी भी प्राप्त हुए आवेदन पत्रो में यदि किसी दस्तावेज की या कोई अन्य कमी है तो दस्तावेज एवं अन्य ऐसी किसी भी कमी को पूरा करने हेतु नोटिस भी डिमान्ड नोट के साथ ही रजिस्ट्रर्ड ए.डी द्वारा संबंधित आवंटी/आवेदक को दिनांक 31.01.11 तक प्रेषित किये जाने तथा लम्बित प्रकरणों व उनमें जारी नोटिसों की संख्या का विवरण दिनांक 10.02.11 तक फैक्स द्वारा भिजवाने तथा दिनांक 31.03.10 तक के ऐसे लम्बित/आवेदित प्रकरणों में उक्त अधिसूचना दिनांक 10.12.10 में निहित शर्तो की पूर्ति कराते हुए पंजीयन विलेख अविलम्ब जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में उप आवासन आयुक्तो/आवासीय अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे लम्बित प्रकरणों की सूचना निम्न प्रारूप में दिनांक 20.01.11 तक फैक्स द्वारा भिजवायेः–

क्र. सं.	दिनांक 30.06.10 को लम्बित प्रकरणों की संख्या	दिनांक 18.01.11 तक जारी नोटिसों की संख्या	दिनांक 18.01.11 तक जारी नवीनतम मांग पत्रो की संख्या	दिनांक 18.01.11 तक कितने प्रकरणों में राशि जमा हुई	दिनांक 18.1.11 तक कितने प्रकरणों में विलेख जारी किये गये
1.	2.	3.	4.	5.	6.

यह भी निर्देशित किया जाता है कि 15 फरवरी एवं 15 मार्च 2011 तिथियों तक की स्थिति दर्शाते हुए उपरोक्त सूचना भी आवश्यक रूप से भिजवायें। उक्त निर्देशो की पालना में किसी भी शिथिलता को गम्भीरता से लिया जाकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता/सचिव/निदेशक विधि, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, पी. एण्ड एम./वित्तीय सलाहकार/तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त/जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त–वृत–.................... रा0आ0म0, ...
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–......................रा0आ0म0, ...
7. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ रा0आ0म0, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक